(ख) विदेशी मुद्रा की अदायगी के लिए किस आधार पर सिफारिश की जाती है और क्या सरकार ने इसके लिए कोई दिशानिर्देश तैयार किए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उसके अनुसार सिफारिशें की जाती हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे यथा समय सदन की मेज पर रख दिया जायेगा ।

(ख) और (ग) इस प्रकार के मामलों में विदेशी मुद्रा रिलीज करने के लिए सिफारिशें आवेदकों द्वारा प्रस्तुत ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य, जो अन्य बातों के साथ साथ, उनके और उनके विदेशी सहयोगियों के बीच समझौते के अस्तित्व को सिद्ध करे, के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक को की जाती है । इन सभी मामलों पर कार्रवाई सुनिर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है ।

केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल का अधिकार क्षेत्र

644. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के किन-किन, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा स्वायत्त निकायों को केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र के अधीन लाया गया है ;

(ख) क्या सरकार राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामलों को भी केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र के अधीन लाने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) निम्नलिखित संगठनों को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की अधिकारिता में लाया गया है :—

(1) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अधीन गठित केन्द्रीय न्यासी मंडल ।

(2) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ।

(3) केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड ।

(4) राष्ट्रीय श्रम संस्थान ।

(5) राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद्, धनबाद ।

(6) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ।

(7) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ।

(ख) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 में राज्य सरकार के कर्मचारियों को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की अधिकारिता में लाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है । तथापि, राज्य सरकार से विशेष अनुरोध प्राप्त होने की स्थिति में, केन्द्रीय सरकार, संबंधित राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामलों के लिए राज्य प्रशासनिक अधिकरण का गठन कर सकती है । तदनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा राज्य प्रशासनिक अधिकरण और कर्नाटक राज्य प्रशासनिक अधिकरण पहले ही गठित किए जा चुके हैं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

Loan Melas

645. SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have reviewed the scheme of loan melas of the nationalised banks and assessed their inflationary effect on the economy of the country;

(b) whether Government have received complaints regarding corruption in the distribution of loans by the nationalised banks;

(c) if so, the measures being taken by Government to remove corruption in this regard; and